Email: cswriavikanagar@yahoo.com
nwरभाष : 01437–220177 फैक्स नं.. 91–01437–220163

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

No.6(381)SP/2022/ **Dated: 17 - 06-2022**

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Annual Maintenance Contract work for Electricity (HT/LT Lines)** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA, DISTRICT TONK, RAJASTHAN-304501.** Manual bids shall not be entertained. Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	**F.No.6(381)SP/2022/**
Date and Time for issue/Publishing	17-06-2022 at 3.00 PM
Document Download/Start date and time	18-06-2022 at 3.00 PM
Bid Submission Start Date and Time	18-06-2022 at 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	07-07-2022 at 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	08-07-2022 at 10.00 AM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.1000/- EMD- 30,000/- Performance Security money –3 % of the value of the contract
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Asstt.Administrative Officer (Store & Purchase), C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan, Pin- 304501

Chapter I- Instruction to bidders

1. **Bids shall be submitted online only at CPPP website:** https://eprocure.gov.in/eprocure/app.
2. Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.
3. In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.
4. The complete bidding process in online. Bidders should be possession of valid digital Signature Certificate (DSC) of class II or III for online submission of bids. Prior to bidding DSC need to be registered on the website mentioned above. For any assistance for e-bidding process, if required bidder may contact to the helpdesk at 01437-220177.
5. **Tenderer/Contractor/Bidders are advised to follow the instructions provided in the 'Instructions tothe Contractors/Tenderer/Bidders for the e-submission of the bids online through the CentralPublic Procurement Portal for e-procurement at** https://eprocure.gov.in/eprocure/app**.**
6. Bid documents may be scanned with 100 dpi with black and white option which helps in reducing sizeof the scanned document.
7. **Tender Cost:** Applicant contractor must submit the demand draft for Rs 1000/- (Rupees One Thousend only) in favour of **"ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura"**, obtained from any Nationalized/ scheduled Bank valid for three months as tender fees. All applicable bank charges shall be borne by the applicant and he shall not have

any claim what so ever on this account on Government. The Demand Draft submitted for tender fee shall be non-refundable. **The demand drafts for tender fees must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission.**

8. **EMD Payment:** The bidder shall be required to submit the Earnest Money Deposit (EMD) for an amount of **Rs 30,000/- (Rupees Thirty Thousand Only)** by way of demand drafts only. The demand drafts shall be drawn in favour of "**ICAR Unit, CSWRI, Avikanagar, payable at SBI, Malpura**". The EMD of the successful bidder will be return after deposit Security Money and for unsuccessful bidder(s) it would be returned after award of thecontract. **The demand drafts for EMD must deliver to ICAR-CSWRI, Avikanagar on orbefore last date / time of Bid Submission.**
   a) No request for transfer of any pervious deposit of earnest money or security deposit on payment of any pending bill held by the institute in respect of any previous work will be entertained.
   b) Tenderer shall not be permitted to withdraw his offer or modify the terms and condition thereof. In case the tenderer fails to observe and comply with stipulation made herein or back out after quoting the rates, the aforesaid amount of earnest money will be forfeited.
   c) The Tenders without Earnest Money will be summarily rejected.
   d) The Firm who are registered with National Small Industries Corporation (NSIC) / OR Small Scale Industries (SSI) are exempted to submit the EMD (Copy of registration must be provide along with technical bid)
   e) No Claim shall lie against the ICAR-CSWRI, Avikanagar in respect of erosion in the value or interest on the amount of EMD.
9. **The Hard Copy of original document in respect of cost of tender document, earnest money deposit must be delivered to the ICAR-CSWRI, Avikanagar on or before last date/time of Bid Submission as mentioned above. The bid without tender fee and EMD will be summarily rejected.**
10. **Submission of Tender:** The tender shall be submitted online in two part, viz., technpical bid and financial bid. All the pages of bid being submitted must be signed and sequentially numbered by the bidder irrespective of nature of content of the documents before uploading.

    The offers submitted by Telegram/Fax/Email shall not be considered. No correspondence will be entertained in this matter.
    a) Scan copy of relevant firm Registration certificate of the firm of the Central Govt./State govt.
    b) Scan copy of licence issued by Central or State govt. regarding maintaince of 11000/415 Volt line related electric work.
    c) The contractor/agency must have a registration with the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970. The contractor shall obtain the labour license under this Act and submit to office immediately after award of contract.
    d) Scan copy of Minimum turnover 05 lakh of the firm during the last three year. Certified Balance Sheet of the firm for last three year of the service contract by the chartered accountant.
    e) Scan copy of Last three years continuous experience or more of the firm in the field of providing such services in Central Govt. establishments/Autonomous bodies of Govt. of India/ Corporations of Govt. of India/reputed public or private organizations' provide the details in enclosed tabular form.
    f) Scan copy of Employee EPF and ESI registration certificate
    g) Nos. of staff/supervisors registered under ESI & EPF separately. Minimum 30 nos. (Staff/Supervisors) required with their ESI & EPF contributions. Documentary proof of vouchers(ECR) required and must be attached.
    h) Scan copy of PAN card and GST registration certificate issued by Govt.
    i) Scanned copy of D.D. of Tender Fee and EMD.
    j) Tender acceptance letter (Annexure I)
    k) Scanned copy non blacklisting certificate(Annexure II)
    l) Scanned copy of no deviation (Annexure III)
    m) Scanned copy of Schedule I and II
    n) Scanned copy of solvency certificate by the bank for turnover amount i.e. 5 Lacs.
    o) Information regarding any litigation, current or during the last five years, in which the Bidder is involved, the parties concerned and disputed amount(Annexure-IV).

All necessary documents in support of the details for S.No. a to o must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Assistant Administrative Officer

Chapter II- Scope of Work

संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स के रख–रखाव, इत्यादि से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य विवरणः

1– **कार्य की प्रकृति :** यह विस्तृत अनुरक्षण ठेका परिसर में स्थित सभी नियमित स्थापित विद्युत व्यवस्था के रख–रखाव एवं अनुरक्षण हेतु आमंत्रित किया जाता है। ठेके की समायावधि के दौरान निम्न लिखित स्थापित विद्युत व्यवस्था को सही प्रकार से रखना आवश्यक होगा।

1. संस्थान के सभी कार्यालय भवनों जैसे– प्रशासनिक भवन, एन.पी.बी. भवन, टी.एम.टी.सी. भवन, पुस्तकालय भवन, केन्टीन ब्लॉक, अभियांत्रित इकाई, ऑडोटोरियम, क्रीडा भवन, मेन गेट, के.बी. कॉम्पलेक्स, पशु स्वास्थ्य विभाग, मांस विज्ञान, केन्द्रीय/राजकीय विद्यालयों, चिकित्सालय, समाज सदन, अतिथि–गृहों, शॅापिंग कम्पलेक्स, सभी भेड़/बकरी/खरगोश सैक्टर, सभी पीने के पानी वाले एवं कृषि कार्य में प्रयोग पम्प हाऊसेज, सुरक्षा बिन्दु (घरेलू एवं नोन–घरेलू (N.D.S. & D.S.) आदि (लगभग 5000 बिन्दु) पर विद्युत की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना।
2. संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख–रखाव व व्यवस्थित रखने का कार्य।
3. स्ट्रीट (सडकों) लाइट जिसमें फ्लोरोसंट, एच.पी.एस.वी., एच.पी.एम.वी.,एच.पी. एवं सी.फल.एल., लाईटें शामिल हैं (लगभग 250 बिन्दु) का रख–रखाव करना।
4. लगभग 250 आवासीय मकानो की विद्युत रख–रखाव कार्य (लगभग 250 बिन्दु)।
5. 25KVA से 160KVA तक क्षमता वाले बाहरी सब स्टेशन–कम–वितरण ट्रान्सफामर्स, लगभग 11 KVA/415 वोल्ट्स वाले 12 स्टेशन (बाइन्डिंग संस्थान की होगी) का रख–रखाव करना।
6. 11 KV 415 वोल्ट्स LT वाले लगभग 30 किलोमीटर लम्बाई वाली ओवर हैड लाईन का रख–रखाव करना।
7. 5 HP Dia 2 INCH GI discharged क्षमता वाले लगभग 32 पम्प एवं 6 बूस्टर पम्प सेट्स के बिजली बोर्डो/पेनल का रख–रखाव।
8. सस्थान में स्थित 380 केवीए के दो जेनेटर, 160 केवीए का एक जेनेटर तथा 12 केवीए के दो जेनेटर सेटों का प्रतिदिन रख–रखाव व संचालन करवाना होगा।
9. संस्थान के विभिन्न विभागों में स्थापित यूपीएस और बैटरियों की जांच करना और वोल्टेज नापना होगा।

2– **कार्य क्षैत्रः वार्षिक अनुरक्षण ठेकेदार को शिकायत निवारण के अतिरिक्त निम्न लिखित अनुरक्षण /निर्धारित कार्य भी करने होगेंः**

1. सभी LT पेनल्स का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
2. सभी मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
3. सभी उप–मुख्य बोर्डो का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
4. सभी डीबी का उचित रख–रखाव करना (एक वर्ष में दो बार)।
4. अर्थ सेट्स की जांच करना (एक वर्ष में एकबार)।
6. सभी मुख्य बोर्डों, उप मुख्य बोर्ड एवं डीपी में अर्थ निरन्तरता की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
7. पोल (खम्भों) की पुताई एवं चिन्हित करना (एक वर्ष में एक बार)।
8. सभी प्रकार की फिटिंग की साफ–सफाई करना (एक वर्ष में ओसतन चार बार)।
9. HT/LT ओवर हेड लाईट लाईन को कसना/सेग(sag)की जांच करना (एक वर्ष में एक बार)।
10. HT/LT ओवर हेड इन्सूलेटर की जांच करना एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
11. HT/LT की क्रास आर्म्स/स्ट्रटे आर्म्स इन्सपेक्सन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
12. ट्रान्सफामर्स का ऑयल लीक, ऑयल की स्तर, कनैक्सन, साफ–सफाई, अर्थिंग आदि की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
13. GOस्विच की जांच एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में दो बार)।
14. HT/LT जम्फर कनैक्शन का इन्सपैक्शन एवं फिक्सिंग करना (एक वर्ष में एक बार)।
15. संस्थान के कार्यालयों में स्थापित ए.एसी. व कूलर (लगभग 200 नग) की वर्ष में एक बार जांच (विद्युत सप्लाई) व साफ सफाई करनी होगी।
16. संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का नियमित रूप से रख–रखाव का कार्य करना होगा।
17. अनुबन्ध कार्यो के अन्तर्गत उल्लेखित कार्यो की संख्या में 20–25 प्रतिशत अधिक भी हो सकती है।

3– उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थान में नवनिर्मित भवनों का विद्युत रख–रखाव व रिपेयरिंग कार्य भी करना होगा।

4– संस्थान में खोदे गये ट्यूबवेलों 8 नग जो कि ई.टी.ओं 11 के पास, ई.टी.ओं.14 के पास, कोपरेटीव स्टोंर के पास, ईटीओ 05 के पास नाले सैक्टर 13 के पास रोड पर, ई.टी.ओ. 14 के पास रोड पर ,ब्लोक नं0 17 पर रोड किनारे और सेक्टर नं.9 के सामने वाली सड़क के पास स्थित है का विद्युत रिपेयरिंग रख–रखाव करना होगा।

5– पावर फेक्टर पेनल्स से सम्बन्धित निम्नलिखित कार्य करने होगें–

(अ) संस्थान में स्थापित सभी पावर फेक्टर पेनल्स जो प्रत्येक ट्रान्सफार्मर के साथ स्थापित है की प्रतिदिन पाव फेक्टर रीडिंग रजिस्टर में दर्ज करनी होगी व पेनलों की जांच करनी होगी।

(ब) सभी पावर फेक्टर पेनलों को 0.95 पावर फेक्टर पर व्यवस्थित रखना होगा।

(स) पावर फेक्टर पेनलों के बन्द होने व पावर फेक्टर रीडिंग के निर्धारित अंकों 0.90 में नहीं आने की तत्काल सूचना प्रभारी, विद्युत/प्रतिनिधि को अतिशिघ्र प्रेषित करनी होगी तथा अनुबन्धकर्ता को उसका रिपेयरिंग कार्य पूर्ण करके निवारण अतिशीघ्र करना होगा। कार्य में लगने वाले पावर फेक्टर पार्टस का खर्च संस्थान के द्वारा वहन किया जावेगा।

6–शिकायत निवारण :

अ) सम्पूर्ण परिसर में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाए रखने हेतु उपकेन्द्रों (Sub-stations), ओवर हेड लाईन्स, पम्पस आदि एवं विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी ।

ब) स्ट्रीट लाईट, कार्यालय भवनों एवं प्रयोगशालाओं में आवश्यक विद्युत आपूर्ति बनाये रखने हेतु एवं विद्युत संबंधी शिकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि की होगी।

स) आवासीय भवनों के विद्युत रख–रखाव एवं विद्युत संबंधी शिकायतो के निवारण करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार प्रतिनिधि की होगी।

द) ठेकेदार को एक बिन्दु अस्तित्व वाली लाईन के बारे में संस्थान के अभियांत्रिक प्रभारी के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।

7– उपरोक्त कार्य के अतिरिक्त विद्युत अनुरक्षण एवं ब्रेक डाऊन/वर्तमान में स्थापित विद्युत व्यवस्था मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।

8– उक्त अनुबन्ध में आंतरिक स्थापित विद्युत व्यवस्था की आवश्यकतानुसार सामान्य मरम्मत एवं रख–रखाव कार्य सम्मलित है।

9– रख–रखाव में फिटिंग एसेसरीज एवं फिक्चर्स को बदलना भी शामिल हैं। पंखों/फिटिंग्स/सब–स्टेशन एरिया की सफाई भी इस ठेके में शामिल हैं।

10– ठेकेदार द्वारा पानी के पम्पों, ट्रांसफामर्स, HT/LT स्विच गियर, HT/LT ओवर हेड लाईन्स, मैन बोर्ड, डीबी इत्यादि का सुरक्षात्मक रख–रखाव करना होगा।

11– ट्रांसफामर्स से वर्ष में एक बार आयल निकालना एवं अच्छा आयल डालने का कार्य भी ठेकेदार को करना हेगा जिसके लिए ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जाएगा। आयल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।

12– आवश्यकता पडने पर पेडों की छंगाई/ओवर हेड लाईन पर लटकने वाली टहनियों को हटाना भी इस ठेके के अन्तर्गत करना होगा।

13– यह कार्य भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये बिजली आपूर्ति अधिनियम/नियमों के अनुसार किया जावेगा।

14– ठेकेदार को संस्थान परिसर में प्रभारी विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग/प्रतिनिधि द्वारा बताये जाने वाले स्थान पर विद्युत कार्य से सम्बन्धित शिकायत पंजिका/लॉग बुक रखनी होगी।

15– ठेकेदार/प्रतिनिधि द्वारा अलग से एक कार्य डायरी रखनी होगी जिसमें सम्बन्धित शिकायतकर्ता/प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से कार्य संबंधी शिकायत दूर करने पर हस्ताक्षर करवाने होंगें।

16– अनुरक्षण के लिए आवश्यक सामग्री जैसे– बल्ब, ट्यूब, स्टार्ट, एसेसरीज, तार, इन्सूलेटर सिवच इत्यादि संस्थान द्वारा उपलब्ध कराए जाएगें जिनके उपभोग एवं भंडार को लौटाई गई खराब सामग्री का पूरा विवरण ठेकेदार को रखना होगा।

17– रख–रखाव हेतु सभी कार्य सामग्री (फ्यूज वायर, इन्शुलेशन टेप, स्क्रूज, टेप, सेंडल, लकडी की गट्टी, चैकनट्स, वाशर, सेन्ड, सीमेंन्ट एवं टेस्ट लेम्प आदि को छोडकर) संस्थान द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जावेगी तथा जारी की गई सामग्री के प्रयोग में लेने एवं हिसाब हेतु शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर लेना आवश्यक होगा।

18– ठेकेदार को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग द्वारा बताये गये कार्य को प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित समय में पूर्ण करना होगा।

19– चूँकि संस्थान परिसर बड़े क्षैत्र में फैला हुआ है अतः ठेकेदार/उनके प्रतिनिधियों को विद्युत सम्बन्धी शिकायतों के निराकरण करने हेतु आने व जाने के लिये उचित परिवहन/साधन स्वयं ठेकेदार को उपलब्ध कराना होगा। संस्थान द्वारा कोई साधन उपलब्ध नही करवाया जावेगा।

20– ठेका समयावधि के दौरान जेवीवीएनएल से बिजली आपूर्ति बंद करने एवं पुनः आपूर्ति चालू करने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं ठेकेदार का होगा। इसके लिये ठेकेदार को उचित अभिलेखन/रिकार्ड रखना होगा तथा ठेका समाप्त होने पर प्रभारी, उपकरण/विद्युत अनुभाग को सौपना होगा।

21– शिकायत निवारण के समय खराब/टूटी/बेकार सामग्री होने पर ही बदली जावेगी तथा सामान को बदलने के उपरान्त शिकायतकर्ता से लगाये गये सामान की रसीद प्राप्त करनी होगी। यदि खराब सामग्री उपलब्ध नही है इस स्थिति में प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से खराब सामग्री उपलब्ध नही होने संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही बदली जायेगी।

22– ठेकेदार को अपने टूल्स एवं ट्रेकल्स जिसमें वर्किंग टूल्स, ओ एच लाईन पुलर, 30 फीट लम्बी सीढी, HT/LT प्रोटेक्शन गियर, कार्शन बोर्ड, लाईन अर्थिंग गीयर, मैगर्स, क्न्टीन्यूटी चैकर्स, टार्च लाईट इत्यादि यह सभी ठेकेदार को रख–रखाव हेतु नियुक्त वायर मेन/लाईनमेन/इलेक्ट्रिशियन कार्यस्थल पर ही उपलब्ध कराना होगा जिसके लिए कुछ भी अतिरिक्त देय नही होगा।

23– संस्थान में स्थापित विद्युत इकाईयों को चालू/साफ एवं अच्छी स्थिति में रखने तथा धूल एवं कीडों आदि से बचाने की पूर्ण जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

24– ठेकेदार को संस्थान परिसर में विद्युत आपूर्ति संबंधी अभिलेखन रखना होगा।

25– ठेकदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण के लिए उनके प्रतिनिधियों आदि को वर्ष में एक बार वर्दी, जूते, नाम पट्टिका व अनुरक्षण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले टूल्स की किट प्रदान करनी होगी (टूल्स की सूची संल्गन है)।

कटौतियाँ :–

1– संस्थान परिसर में स्थित सभी भवनों में स्थिापित विद्युत संबंधी सम्पति की सूची विद्युत अनुभाग द्वारा ठेकेदार के हस्ताक्षर लेने के बाद दी जायेगी तथा वार्षिक अनुबन्ध समाप्ति के पश्चात् ठेकेदार द्वारा सम्पति की सूची विभाग को संभलवानी होगी। किसी भी प्रकार का नुकसान एवं कमी होने पर उसकी कीमत ठेकेदार से वसूली की जायेगी।

2– **किसी भी शिकायत को बिना उचित कारणों के 24 घंटें के अन्दर दुरस्त नहीं करने पर प्रथम दो दिनों तक 500 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन के हिसाब से एवं दो दिनों के बाद 1000 रूपये प्रति शिकायत प्रति दिन दण्डात्मक कटौती की जाएगी।**

3– विद्युत इकाईयों में कोई भी खराबी आने पर उसकी सूचना तुरन्त प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग को देनी होगी। साथ ही खराबी को तुरन्त प्रभारी के निर्देशानुसार दुरस्त करना होगा। ऐसा नही करने पर ठेकेदार स्वयं इसके लिए जिम्मेदार होगा तथा उस खराबी अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा। ईकाई को गलत ढंग से चलाने के कारण खराबी आने पर ठेकेदार द्वारा उसे अपने स्तर एवं खर्च पर दूर करना होगा।

4– अनुबन्ध की शर्त संख्या 5 के अनुपालन में सभी 12 नग पावर फेक्टर पेनलों में पावर फेक्टर अगर 0.90 से नीचे आता है और संस्थान के सिंगल मीटर मासिक विद्युत बिल में पावर फेक्टर सरचार्जे की राशि आती है तो उस राशि का भुगतान अनुबन्धकर्ता द्वारा संस्थान को करना होगा या अनुबन्धकर्ता के मासिक अनुबन्ध बिल में से कटौति की जावेगी।

अनुबन्ध की सामान्य नियम व शतें:

1– अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से 01 वर्ष के लिए होगी परन्तु सक्षम अधिकारी चाहे तो इसे कम या अनुबन्धकर्ता की आपसी सहमति से वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक वर्ष से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

2– ठेकेदार/प्रतिनिधि को अनुबन्ध की अवधि में संस्थान की सम्पत्ति को नुकसान से बचाना होगा। यदि कोई नुकसान/चौरी/क्षति पहुँचाई जाती है तो उसकी वसूली स्वयं ठेकेदार को नकद करनी होगी अन्यथा उनके देये बिल से काट ली जावेगी और अनुबन्ध निरस्त कर अमानत व जमानत राशि जब्त कर ली जावेगी।

3– कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये उचित व न्यूनतम दर ही स्वीकार की जावेगी। साथ ही जो निविदा भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम श्रमिक दर को पूर्ण नहीं करेगी उसे निरस्त समक्षा जावेगा।

4– शिकायत निवारण हेतु कार्य स्थान तक सामान को लाने व ले जाने की व्यवस्था स्वयं ठेकेदार को करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी प्रकार की परिवहन व्यवस्था/साधन उपलब्ध नहीं करवाया जावेगा।

5– ठेकदार के पास भारत/राज्य सरकार से विद्युत संबंधी 11000/415 वोल्ट के रख–रखाव कार्य व विद्युत से सम्बन्धित सभी कार्य/रख–रखाव को करने का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी लाईसेन्स होना आवश्यक है बिना लाइसेंस के कोई निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।

6– ठेकदार को 11000/415 वोल्ट के 1000 के.वी. व इससे अधिक लोड वाले संस्थान/ऐजेन्सी/कम्पनी में कार्य करने का दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए।

7– अनुबंधकर्त्ता को इस निविदा में वर्णित सभी कायों को करने के लिये 24 घण्टे सेवायें देनी होगी ।

8– अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको के संबंध में निम्न बिन्दुओं की अनुपालना आवश्यक है–

(अ) श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नही होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये।

(ब) ***उपरोक्त कार्य अनुबंध में कुशल श्रेणी के 208 मानव कार्य दिवस प्रतिमाह की आवश्यकता होगी। अनुबन्धकार्य की आवश्यकता के मध्यनजर कार्य निष्पादन हेतु अनुमानित 7–8 ट्रेंड श्रमिक की आवश्यता होगी।***

9– ठेकेदार द्वारा बिना वैधानिक लाइसेंस वाले प्रतिनिधियों को विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु नही लगाया जाएगा। कार्य में लगने वाले श्रमिकों के पास संबंधित कार्य का मान्यता प्राप्त संस्थान से विधुत संबंधी कार्य करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जैसे– आई0टी0आई0 या संबंधित अन्य डिप्लोमा इत्यादि।

10– विद्युत इकाईयों के अनुरक्षण संबंधी बिल का भुगतान ठेकेदार द्वारा संतोषजनक कार्य करने पर प्रभारी अभियांत्रिक को प्रति माह बिल (तीन प्रतियों में) प्रस्तुत करना होगा जिसका भुगतान मासिक आधार पर नियमित समय पर किया जाएगा।

11– ठेके से सम्बन्धित किसी भी प्रकार विवाद होने पर निदेशक, केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर का निर्णय अंतिम होगा जिसे ठेकेदार द्वारा मान्य होगा। ठेकेदार द्वारा वार्षिक अनुरक्षण अनुबंध को लेने से पूर्व इस पर अपनी सहमति देनी होगी।

12– अनुबन्ध की अवधि के दौरान ठेकेदार एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।

13– ठेकेदार द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्य हेतु किसी भी बाल श्रमिक को कार्य पर नहीं लगाया जाएगा।

14– ठेकेदार/प्रतिनिधि को प्रभारी, विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग से सम्पर्क रखकर विद्युत रख–रखाव से संबंधित शिकायत दूर करने के लिए समन्वय, नियंत्रण एवं पारस्परिक सम्पर्क कराना होगा।

15– श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का EPF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। EPF/ESI कार्मिकों के संबंधित विभाग के खाते में जमा करवाकर अगले माह के बिल के साथ चालान की प्रति संलग्न करनी अनिवार्य होगी।संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।

16– कार्य अवधि में अनुबन्धकर्ता के श्रमिक/मशीन को किसी भी प्रकार की क्षति होती है, तो संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा अनुबन्धकर्ता स्वयं पूर्णरूप से जिम्मेदार होगा। साथ ही संस्थान द्वारा किसी प्रकार का क्लेम नहीं दिया जावेगा। अतः अनुबन्धकर्ता अनुबन्ध मिलने के साथ ही उसके अधीन कार्य करने वाले सभी कार्मिकों का बीमा अवश्यक करवा लें।

17– संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले संशोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार जीएसटी/आयकर (GST/Income Tax)एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी।

18– ठेकेदार को अनुबन्ध की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।

19– ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटो युक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर विद्युत एवं उपकरणीय अनुभाग अनुभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो (पहचान–पत्र) आवश्यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।

20– अनुबन्ध कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर ठेकेदार/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता/क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।

21– आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 2 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत राशि को जब्त कर लिया जावेगा।

22– श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।

23– सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान को होगा। जिसे ठेकेदार/फर्म/एजेन्सी/कम्पनी द्वारा मान्य होगा।

24– यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

25– संस्थान कें सक्षम अधिकारी को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

26– सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।

27– संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

नोट – अनुबन्धकर्ता द्वारा विद्युत अनुरक्षण कार्यो में प्रयुक्त होने वाले निम्नलिखित टूल्स की किट कार्मिको को उपलब्ध करानी होगी।

क्र.सं.	औजार का नाम	संख्या
1.	हैण्ड गलब्ज	3
2.	प्लायर	6
3.	नोज प्लायर	6
4.	वायर कटर	6
5.	स्क्रू ड्राईवर बडा	6
6.	स्क्रू ड्राईवर सेट मय पोकर	6
7.	टार्च बड़ी	2
8.	टार्च छोटी	2
9.	एडजेस्टेबल बडा	2
10.	एडजेस्टेबल छोटा	6
11.	फिक्स स्पेनर सेट	3
12.	रिंग स्पेनर सैट	3
13.	मल्टी मीटर	2
14.	टेस्टर	6
15.	टेस्ट लैम्प	6
16.	हथोड़ी छोटी	3
17.	हथोड़ी बड़ी	3
18.	पीवीसी गिट्टी	समय – समय पर आवश्यकतानुसार उपलब्ध करानी होगी।
19.	स्क्रू आल साईज	
20.	पीवीसी टेप	
21.	टूल्स बैग	6
22.	सीडियाँ छोटी	2
23.	सीडियाँ बड़ी	2
24.	ड्रेस	8
25.	पहचान पत्र	8
26.	जूते	8
27.	कुल्हाडी	4
28.	एल–की सेट	1

Chapter III- General Terms & Conditions

1. The Supporting/Allied services staff should follow strict attendance and alternative arrangements are to be made by the agency whenever anyone of staff/supervisor is to go on leave under intimation to this office.
2. Changing of Staff/Supervisor should be intimated to : Director CSWRI, Avikanagar.
3. The Director, CSWRI, Avikanagar reserves the right to reject any or all quotations/tenders in whole or in part without assigning any reason therefore. The decision of Director shall be final and binding on the Contractor/Agency in respect of clause covered under the contract.
4. The staff provided should also maintain secrecy and discipline in the premises of Institute.
5. The staff provided should be capable of as **per mentioned in tender documents and enclosed part –A.**
6. The contractor shall keep a complaint register with his supervisor, and it shall be open to verification by the authorized officer of CSWRI for the purpose. All complaints should be immediately attended by the Agency.
7. Uniform with colour specifications and pattern approved by CSWRI should be supplied by the contractor to the workers at his own cost and it should be ensured that the working staff etc., are in proper uniform while on duty.
8. The agreement is terminable with one month notice on either Side.
9. The contractor shall not sublet the work without prior written permission of the competent authority of CSWRI.
10. The contractor or his workers shall not misuse the premises allotted to them for any purpose other than for which the contract is awarded.
11. The selected agency shall provide the necessary personnel’s for at CSWRI, Avikanagar as per labour acts prevalent in Centre/state. The agency shall employ good and reliable persons with robust health. In case any of the personnel so provided is not found suitable by the CSWRI, the CSWRI shall have the right to ask for his replacement without giving any reason there of and the agency shall on receipt of a written communication will have to replace such persons immediately.
12. The persons so provided by the agency under this contract will not be the employee of the Council and there will be no employer-employee relationship between the Council and the person so engaged by the contractor in the aforesaid services.
13. Payment for service contract will be made monthly upon submission of pre-receipted bill.
14. After physical inspection of the site, a very detailed assessment/requirements of personnel for providing allied services at the CSWRI, Avikanagar shall have to be furnished along with the Tender. However, the Tenders should indicate only the **lump-sum amount** in respect of all the services covered under this contract and that rates should not be proposed on the basis of manpower to be deployed under the contract. No request for altelration in the rates once quoted will be permitted within one year.

15 The rates to be quoted should include cost of each and every item including transportation cost, manpower cost and taxes etc. The CSWRI shall not bear any extra charge on any account whatsoever i.e. Uniform, Liveries, OTA etc.

16. The contractor will discharge all his legal obligations in respect of the workers/supervisors to be employed/ deployed by him for the execution of the work in respect of their wages and service conditions and shall also comply with all the rules and regulations and provisions of law in force that may be applicable to them from time to time. The contractor shall indemnify and keep indemnified the CSWRI from any claims, loss or damages that may be caused to it on account of any failure to comply with the obligations under various laws. In case of any dispute, the decision of Director. CSWRI, Avikanagar shall be final and binding on the contractor.

17 Income Tax will be deducted from the payments due for the work done as per rule.

18. They should not leave their points unless and until the reliever comes for shift duties, supervisor will maintain all the registers, which are kept at concerned Section.
19. Changing of Supervisor/Staff should be intimated to the concerned officer.
20. The Contractor must employ adult labour only. Employment of child labour may lead to the termination of the Contract.
21. The contract is subject to the condition that the tenderer will comply with all the laws and acts of Central Govt., State Govt. relating to this contract made applicable from time to time.
22. Risk Clause: CSWRI reserves the right to discontinue the service at any time, if the services are found unsatisfactory by giving a show-cause to be replied within a week and also has the right to award the contract to any other agency at the risk

and cost of current agency and excess expenditure incurred on account of this can be recovered from Security Money Deposit. or pending bills or by rising a separate claim.

LIQUIDATED DAMAGES CLAUSE:

1. An amount of two days of contract amout, subject to minimum of Rs. 500/- will be levied as liquidated damages per day. Whenever and wherever it is found that the work is not up to the mark in any Section. It will be brought to the notice of the supervisory staff of the firm by CSWRI and if no action is taken within **one hour** liquidated damages clause will be invoked.
2. Any misconduct/misbehaviour on the part of the manpower deployed by the agency will not be tolerated and such person(s) will have to be replaced immediately.

The Director, CSWRI, Avikanagar reserves the right to reject any or all Tenders in whole or in part without assigning any reasons therefore. The decision of Director, CSWRI Avikanagar shall be final and binding on the contractor/agency in respect of any clause covered under the Contract.

Annexure - I

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर

तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

क्रमांकः **6(381)SP/2022** दिनांकः 17.06.2022

निविदा स्वीकारोक्ति पत्र (Tender Acceptance letter)

क्र. सं.	कार्य का विवरण	अनुमानित कार्य की मात्रा
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य	एक वर्ष

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर **संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व रख–रखाव से संबंधित कार्य को अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने के लिये कार्य** को अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में रेट कोन्ट्रेक्ट/जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। मैं यह वचन देता हूँ कि संस्थान द्वारा समय–समय उपरोक्त दर्शाये गये कार्य के अतिरिक्त कार्य करवाया जावेगा तो उक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान में कार्य करूंगा तथा मैं प्रभारी, सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

SCHEDULE-I

PART-I

1.	Name of the Firm/Agency	
2.	Full address with Telephone	
3.	Constitution of the Firm/ Agency (Attached copy) Indian Companies Act, 1956 Indian Partnership Act, 1932 (Please give names of partners) Any other Act, if not, the owners	
4.	For Partnership firms whether registered under the Indian Partnership Act, 1932, please state further whether by the partnership agreement to arbitration has been conferred on the partner who has signed the Tender.	
	i) If answer to the above is in negative whether there is any general power of attorney executed by all the partners of the firm authorizing the partner who has signed the Tenders to refer dispute condemning business of the partnership to arbitration.	
	ii) If the answer to above is in point one and two the affirmative please furnish a copy of either the partnership agreement or the general power of attorney as the case may be. The copy should be attested by a Notary Public or its execution would be admitted by affidavit on a properly stamped paper by all partner	
5.	Name and Full Address of your Banker's Along with Bank A/c No. & IFC code No.	
6.	Your Permanent Income Tax No. /Circle/Ward	
7.	Any other relevant information	
	PART – II	
8.	Earnest Money Deposited	Yes/No
	PART - III	
9.	Name and Address of the firm's representative and whether the firm would be representing at the opening of the Tenders	
10.	Name of the Permanent Representative to visiting CSWRI, Avikanagar, regarding the contract	

Date : ……………………. Place:……………………

AUTHORISED SIGNATORY

Please add supplementary pages to be numbered wherever needed by the Tenderer.

SCHEDULE –II

दूरभाष : 01437.220177
फैक्सनं.. 91.01437.220163

केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501

Central Sheep & Wool Research Institute

Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

निविदा के साथ निम्नलिखित दस्तावेज/सूचनायें प्रस्तुत करें

THE FOLLOWING DOCUMENTS/INFORMATIONMAY BE FURNISHED

<table>
<tr><th>S.No.</th><th colspan="3">Information required</th><th colspan="2">To be filled/attached by the Tenderer</th></tr>
<tr><td>1.</td><td colspan="3">Registration certificate of the firm under the work contract of the Govt. of India/State Govt.</td><td colspan="2">Copy of the certificate enclosed</td></tr>
<tr><td>2.</td><td colspan="3">Turnover the firm during the last three financial year
(not less than 05 lacs.)</td><td colspan="2">Rs.______________________
Rs.______________________
Rs.______________________</td></tr>
<tr><td rowspan="6">3.</td><td colspan="5">Last three years continuous experience of the firm in the OFFICE of providing such services in Central Govt. establishment/Autonomous bodies of Govt. of India/Corporations of Govt. of India/ required public or private organizations”</td></tr>
<tr><td>Name of the Deptt./Organisation & Name of contract Person with Ph. No.</td><td colspan="2">Period</td><td>No. of staff deployed</td><td>Remarks</td></tr>
<tr><td></td><td>From</td><td>To</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>i)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>ii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>iii)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4.</td><td colspan="3">Certified Balance Sheet of the firm of last three years of the service contract by the chartered accountant</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>5.</td><td colspan="3">Duly certified copies of the satisfactory services where the Tenderer is providing the services for the last three years.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>6.</td><td colspan="3">Employee EPF registration certificate</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>7.</td><td colspan="3">Employee ESI registration certificate</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>8.</td><td colspan="3">The contractor/agency must have a registration with the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act 1970. The contractor shall obtain the labour licence under this Act</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>9.</td><td colspan="3">Nos. Of staff/Supervisors registered under ESI/EPF separately. Minimum 30 No. (Staff Supervisor) required with their ESI & EPF contribution. Documentary proof of vouchers to be required and may be attached.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>10.</td><td colspan="3">GST registration certificate issued by Govt. etc.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>11.</td><td colspan="3">Any other relevant information.</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

(Authorised Signatory)

Signature________________
Name & Address of the Firm_________________
Telephone No._________________
Mobile No._________________

Annexure - II

NON BLACKLISTING CERTIFICATE

[To be submitted on letterhead]

I/We hereby certify that the [Name of the company / firm] has not been ever blacklisted/ debarred by any Central / State Government / Public Undertaking / Institute on any account.

I/We also certify that firm will supply the item as per the specification given by ICAR-CSWRI, Avikanagar and also abide all the terms and conditions stipulated in Contract.

I/We also certify that the information given in bid is true and correct in all aspects and in any case at a later date it is found that any details provided are false and incorrect, contract given to the concern firm or participation may be summarily terminated at any stage, the firm will be blacklisted and ICAR-CSWRI, Avikanagar may imposed any action as per NIT rules.

Date :
Place :

Name :
Business Address :
Signature of Bidder :
Seal of the Bidder :

Annexure -III

CERTIFICATE OF NO DEVIATION
[*To be given on letter head*]

NIT No.:

I/We, M/s____ hereby certify that notwithstanding any contrary indication / conditions elsewhere in our offer documents, I/We have neither set any terms and conditions nor there is any deviation taken from the conditions of CSWRI, Avikanagar tender specification, either technical or commercial, and I/We agree to all the terms and conditions mentioned in CSWRI, Avikanagar tender specification with associated amendments & clarification.

[*Signatures of the Bidder with Name, Designation & Company's Seal*]

Annexure-IV

Information on litigation

S.No.	Aggrieved parties	Court which is handling the case	Amount involved	Year of litigation	Current status (Resolved/pending)

Signature of bidder with seal and date

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

No.6(381)SP/2022 **Dated: 17-06-2022**

वित्तीय निविदा

संस्थान में विधुत संचालन एवं रख–रखाव संबंधी जॉब कॉन्ट्रेक्ट/अनुबन्ध की दरे निम्न प्रकार है :–

क्र0सं0	कार्य का नाम	दर प्रति माह –रूपयों में
1.	संस्थान में स्थापित विद्युत के संचालन व संस्थान में स्थापित 12 नग पावर पैक्टर पैनल्स का रख–रखाव से संबंधित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध (जॉब कोन्ट्रेक्ट) के आधार पर करने की दर	दर BOQ शीट में अलग से स्वीकार की जाएंगी।

उपरोक्त कार्य अनुबंध में कुशल श्रेणी के 208 मानव कार्य दिवस प्रतिमाह की आावश्यकता होगी।

हस्ताक्षर

फर्म का नाम मय पूर्ण पता

फोन नं0
मो0 नं0.